न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, चूरू

पीठासीन अधिकारीः राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

दायर दिनांक 11.12.2012

निगरानी संख्या–2012/00008

श्रीमती रामप्यारी पत्नी हनुमानप्रसाद जाति ब्राह्मण साकरोत निवासीनी साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू (राज.) –निगरानीदार–

बनाम्

1. ग्राम पंचायत साहवा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू (राज.)
2. अधीक्षण अभियंता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड चूरू जिला चूरू (राज.)
3. अधिशाषी अभियंता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड चूरू जिला चूरू (राज.)
4. सहायक अभियंता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड तारानगर जिला चूरू (राज.)
5. कनिष्ठ अभियंता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू (राज.) –गैरनिगरानीदारान–

निगरानी खिलाफ पट्टा अंतर्गत धारा 272 राजस्थान पंचायत एक्ट पुराना एवं धारा 97 राजस्थान पंचायत एक्ट नया

उपस्थित :–

1. श्री बजरंगलाल शर्मा, अधिवक्ता वास्ते निगरानीदारा
2. श्री विनोद कुमार दनेवा, अधिवक्ता वास्ते गैरनिगरानीदारान

निर्णय

दिनांक 23/7/19

यह निगरानी श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चूरु के न्यायालय से सुनवाई हेतु दिनांक 11.12.2012 को स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज (ऑनलाईन पोर्टल) की गई। इस निगरानी में निगरानीदार के मुख्य कथन इस प्रकार हैः–

1. गैर निगरानीदार सं. 01 के द्वारा गैर निगरानीदार सं. 02 के हक में जारी किया गया पट्टा दिनांक 5.7.1997 खिलाफ कानून खिलाफ कायदा, खिलाफ वकियात मिसल तथा विरूद्ध नियम एवम् न्याय के होने के कारण काबिल इखराजी के है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

Scanned by CamScanner

2. गैर निगरानीदार का एक आवासीय भूखण्ड गांव साहवा के बस स्टेण्ड पर सड़क से पूर्व की तरफ स्थित है जिसका मुख्य निकास द्वार सड़क की तरफ पश्चिम में खुलता है। निगरानीदार द्वारा यह भूखण्ड बीरबलराम से दिनांक 22.6.1989 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से क्रय किया हुआ है उक्त भूखण्ड बीरबलराम के इसी पट्टेसुदा भूखण्ड में से अलग–अलग विक्रयपत्रों द्वारा उसकी पट्टा भूमि के भूखण्ड क्रय किये हुये है जिनके निकास द्वार भी पश्चिम की तरफ खुलते है। निगरानीदार के भूखण्ड में एक टैणी का ढालिया बना हुआ है तथा शेष खुली भूमि चारो तरफ से तार व बाड़ से घेरी हुई है निगरानीदार की इस पट्टा भूमि से उतर–पश्चिम की तरफ गैर निगरानीदार सं. 2 द्वारा एक ट्रांसफार्मर दो विद्युत पोल लगाकर रखा हुआ है। निगरानीदार की उक्त पट्टा भूमि के ठीक सामने निगरानीदार की एक पुख्ता दुकान बनी हुई है जो सड़क पर खुलती है पूर्व मालिक पट्टाधारी बीरबलराम अपने उक्त पट्टा सुदा भूखण्ड में सड़क की तरफ से आवागमन करता रहा है तथा भूखण्ड क्रय करने के बाद निगरानीदार व अन्य क्रेता उसी अनुरूप आवागमन करते चले आये है निगरानीदार के भूखण्ड में आवागमन हेतु पश्चिमी तरफ स्थित निकास द्वार के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।

3. गैर निगरानीदार सं. एक ने गैरनिगरानीदार सं. 2 के नाहक बिना किसी विधिक आधार व औचित्य के निगरानीदार की क्रयशुदा पट्टा भूमि के सामने स्थित खाली भूमि जो निगरानीदार व अन्य क्रेताओं के भूखण्डों व सड़क के बीच स्थित है का एक पट्टा दिनांक 5.7.1997 को जारी कर दिया। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत साहवा के पूर्व सरपंच द्वारा निगरानीदार व अन्यों की नुकसान पहुंचाने की गर्ज से पीछे की तिथि में गलत व गैरकानूनी रूप से जारी किया गया है जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने हेतु बनाये गये नियम धारा 252 से 271 राजस्थान पंचायत एक्ट पुराना के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गई। तथा सभी कानूनी प्रक्रिया व प्रावधानों की बलाये ताक पर रखते हुये पीछे की तिथि में पट्टा जेर निगरानीदार जारी कर दिया गया है जो पट्टा जेर निगरानी हर सूरत में अपास्त किये जाने योग्य है।

4. यह है कि ग्राम पंचायत साहवा के पास पट्टा गैर निगरानी की कोई पत्रावली तथा पट्टाबही उपलब्ध नहीं है जो तथ्य ग्राम पंचायत साहवा के पत्र दिनांक 20.6.2012 के द्वारा स्पष्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

Scanned by CamScanner

परिलक्षित है। तथाकथित पट्टा भूमि में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इसके अलावा गैरनिगरानीदार सं. 2 का उक्त तथाकथित पट्टा भूमि पर कोई कब्जा उपयोग व उपभोग न तो आज है ना ही कभी रहा है। मगर पट्टाशुदा क्रय किये हुये कब्जा उपयोग व उपभोग के मुख्य निकास द्वार को अवरूद्ध कर देना चाहते है जिसका कि उन्हें कोई हक व अधिकार हासिल नहीं है।

5. गैर निगरानीदार द्वारा अपना भूखण्ड दिनांक 22.6.1989 को क्रय किया हुआ है जिसका मुख्य निकास द्वार पश्चिम में खुलता है मगर ग्राम पंचायत साहवा के पूर्व सरपंच ने पीछे की तिथि में पट्टा जेर निगरानी जारी कर दिया है पट्टा दिनांक 5.7.1997 का जारी करना बताया है जबकि दिनांक 22.6.1989 की भूखण्ड क्रय करने के समय से निगरानीदार का आवागमन तथाकथित पट्टा की भूमि से हो रहा है तथा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। पट्टा जेर निगरानी दिनांक 5.7.1997 को जारी करना बताया गया है जो अपने आप में ही गलत व आधारहीन साबित होता है मगर चूंकि तथाकथित पट्टे को निरस्त करवाये बगैर निगरानीदार के हक व अधिकारी सीधे प्रभावित हो रहे है ऐसी स्थिति में निगरानीदार के हक व अधिकार सीधे प्रभावित हो रहे है ऐसी स्थिति में निगरानीदार के पास यह निगरानी पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है।

6. पट्टा आवासीय भूमि का जारी किया गया है तथा तथाकथित पट्टे की मद सं. 8 में आवंटन के दो वर्ष के अन्दर निर्माण करवाने का अंकन है जिसके पालना भी नहीं की गई है जिसकी रूह से भी पट्टा जेर निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

7. निगरानी निगरानीदार पेश कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर पट्टा ग्राम पंचायत साहवा दिनांक 5.7.1997 जो गैर निगरानीदार सं. 02 के हक में जारी किया गया है अपास्त फरमाया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वकील निगरानीकर्ता ने अपीलमिमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 05.07.1997 को पटटा जारी किया गया है। यह पट्टा आबादी भूमि का है। निगरानीदारा द्वारा पट्टाशुदा भूमि दिनांक 22.06.1989 को बीरबलराम से खरीदी हुई आवासीय भूमि है। अन्य लोगों द्वारा भी बीरबलराम से भूमि अलग–अलग विक्रय–पत्रों के

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

Scanned by CamScanner

द्वारा क्रय की गई है। इन सभी पट्टा भूमियों का निकास द्वार पश्चिम में है। निगरानीदार की पट्टा भूमि का रास्ता जो.वि.वि.नि.लि. के पट्टे की भूमि में से होकर ही है। इसलिए आसा–पासा से संबंधित मुद्दा नहीं उठाया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने हेतु बनाये गये नियम धारा 252 से 271 राजस्थान पंचायत एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गई । तथाकथित पट्टा वैध पट्टा नहीं है। पट्टा जारी करने से संबंधित मिसल पंचायत में उपलब्ध नहीं है। पट्टा पीछे की तारीख में जारी किया गया है। इस अपील के साथ मियाद का प्रार्थना–पत्र भी पेश किया गया है तथा पंचायत एक्ट पुराना की धारा 272 में मियाद का उल्लेख नहीं है। यह पट्टा बिना आधार के जारी किया गया है इसलिए इसे हमारे आवागमन की हद तक पट्टा खारिज किया जावे।

गैरनिगरानीदारान के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि जो.वि.वि.नि. लि. के हक में जारी पट्टा में निगरानीदारा की भूमि से संबंधित आसा–पासा नहीं है। सिविल वाद में जो.वि.वि.नि.लि. का कब्जा वर्ष 1985 से साबित है। साहवा ग्राम पंचायत का विद्युतीकरण सन् 1967 में हुआ था। स्वयं निगरानीदारा ने अपने निगरानी मेमो में कथन किया है कि तथाकथित पट्टा भूमि में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। जब से साहवा ग्राम पंचायत का विद्युतीकरण हुआ है तभी से वहां डी.पी. पोल ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। यदि निगरानीदारा को इस ट्रांसफार्मर से कोई आपत्ति होती तो वे आपत्ति दर्ज करवाते। जो.वि.वि.नि.लि. के हक में दिनांक 05.07.1997 को पट्टा जारी किया गया था। करीब 15 वर्ष पश्चात यानि वर्ष 2012 में इस पट्टा के विरूद्ध अपील पेश की गई है जो कि मियाद बाहर है। मियाद अधिनियम में मामले का संज्ञान होने पर उसका दिन प्रतिदिन का ब्यौरा देना होता है। लेकिन निगरानीदारा ने इस बाबत् कोई कथन नहीं किया है। इसलिए निगरानीदारा की निगरानी खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया। तथाकथित पट्टा दिनांकित 5.7.1997 जो.वि.वि.नि.लि. को आवासीय पट्टा जारी किया गया है किन्तु उक्त पट्टे के स्थान पर कोई भी आबादी के निशान नहीं है न ही ट्रांसफार्मर लगाये जाने हेतु पट्टे की आवश्यकता थी। ग्राम पंचायत साहवा के पत्र क्रमांक स्पे0 1 दिनांक 16.8.2013 के अनुसार विद्युत विभाग को जारी पट्टे

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

Scanned by CamScanner

से सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। निगरानीदारा द्वारा पट्टे सुदा भूमि सन् 1989 में बीरबलराम से क्रय की गयी है जिसका पट्टा पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा सन् 1985 में जारी किया गया है। विद्वान अधिवक्ता निगरानीदारा द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि तथाकथित पट्टा जारी करने में पंचायत के नियम धारा 252 से 271 राजस्थान पंचायत एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं हुई जो कि ग्राम पंचायत की रिपोर्ट दिनांक 16.8.2013 से साबित है। विद्युत विभाग को आवासीय पट्टा जारी किया गया है। जिस पर कोई क्रमांक अंकित नहीं है। पट्टे की शर्त संख्या 8 के अनुसार 2 वर्ष के भीतर आवासीय निर्माण करवाना आवश्यक था जो नहीं हुआ। इससे साबित है कि विद्युत विभाग को जारी पट्टा दिनांकित 5.7.1997 ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं हुआ है। अतः बिना रिकार्ड, बिना पट्टा क्रमांक एवं पट्टेशुदा भूमि पर किसी प्रकार के निर्माण नहीं होने के कारण ऐसा पट्टा पंचायत अधिनियम के तहत विधि सम्मत जारी पट्टा नहीं है। फलस्वरूप विवादित पट्टा दिनांक 5.7.1997 निरस्त योग्य है।

उपर्युक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में निगरानीदारा की निगरानी स्वीकार की जाती है। विद्युत विभाग को जारी पट्टा दिनांक 5.7.1997 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत साहवा को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

Scanned by CamScanner